

जिला खनन् कार्यालय, औरंगाबाद ।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सोन नदी के कुल 4 बालूखण्डों यथा— बालूखण्ड संख्या— 5, 6, 27 एवं 28 की ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ई—नीलामी की प्रक्रिया दिनांक— 16.03.2020 से 25.03.2020 तक निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट— 1897 की धारा— 2 के तहत बिहार सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार द्वारा Lockdown किये जाने के फलस्वरूप निदेशानुसार उपरोक्त बालूखण्डों की ई—नीलामी बन्दोबस्ती कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।


ह0/—

खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।

ज्ञापांक.....608...../ख0, औरंगाबाद, दिनांक.....25/03...../2020

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव—सह—निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ समर्पित ।


खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।

जिला खनन् कार्यालय, औरंगाबाद।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सोन नदी के कुल 4 बालूखण्डों यथा- बालूखण्ड संख्या- 8, 31, 33 एवं 38 की ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ई-नीलामी की प्रक्रिया दिनांक- 19.03.2020 से 27.03.2020 तक निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट- 1897 की धारा- 2 के तहत बिहार सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार द्वारा Lockdown किये जाने के फलस्वरूप निदेशानुसार उपरोक्त बालूखण्डों की ई-नीलामी बन्दोबस्ती कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।


ह0/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक.....609...../ख0, औरंगाबाद, दिनांक...25/03/2020

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव-सह-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ समर्पित।


खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

जिला खनन् कार्यालय, औरंगाबाद ।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अन्य नदियाँ यथा— पुनपुन एवं मदार तथा बटाने एवं अदरी को एक-एक अलग ईकाई मानते हुए ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ई-नीलामी की प्रक्रिया दिनांक— 19.03.2020 से 28.03.2020 तक निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट— 1897 की धारा— 2 के तहत बिहार सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार द्वारा Lockdown किये जाने के फलस्वरूप निदेशानुसार उपरोक्त नदियों की ई-नीलामी बन्दोबस्ती कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।


ह0/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।

ज्ञापांक.....610...../ख0, औरंगाबाद, दिनांक...25/03/2020

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव-सह-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ समर्पित ।


खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।